विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड,जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर–302018 दूरभाष नं. 0141–2722520

क्रमांकः प.14(107)RSSB / अर्थना / प्रा.शि. / अध्यापक / भर्ती / 2022 / 1205 दिनांक : 16.12.22

विज्ञापन सं. 12 / 2022

प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (सामान्य) / विशेष शिक्षा) (लेवल–प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) सीधी भर्ती–2022

बोर्ड द्वारा प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (सामान्य / विशेष शिक्षा) (लेवल–प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) सीधी भर्ती–2022 के अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज नियम–1996 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम–2014 के प्रावधानों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य / विशेष शिक्षा (लेवल–प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित योग्यताधारी आवेदकों से ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं। प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (सामान्य / विशेष शिक्षा) (लेवल–प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित पदों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं	पदनाम	भर्ती में विज्ञापित पदों का वर्गीकरण																	
		गैर अनुसूचित क्षेत्र						अनुसूचित क्षेत्र						कुल योग					
		सामान्य शिक्षा	विशेष शिक्षा				कुल पद	सामान्य शिक्षा	विशेष शिक्षा				कुल पद	सामान्य शिक्षा	विशेष शिक्षा				कुल पद
			एम.आर.	वी.आई.	एच.आई.	कुल			एम.आर.	वी.आई.	एच.आई.	कुल			एम.आर.	वी.आई.	एच.आई.	कुल	
1	लेवल प्रथम	17563	930	208	491	1629	**19192**	1570	155	32	51	238	**1808**	19133	1085	240	542	1867	**21000**

नोटः– यदि कोई अभ्यर्थी अध्यापक लेवल प्रथम में सामान्य एवं विशेष शिक्षा दोनो पदों हेतु निर्धारित योग्यता रखता है तो उस अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित कॉलम में विकल्प का चयन करना होगा।

अभ्यर्थियों हेतु सामान्य निर्देश :–

1. राज्य सरकार के **आदेश पत्रांकः–पं. 7(13) प्राशि / आयो / 2019 जयपुर, दिनांक 16.12.2020** के अनुसार राजस्थान प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य / विशेष शिक्षा (लेवल–प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) सीधी भर्ती–2022 के सम्बन्धित वर्गवार पदों हेतु मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा–2021 अथवा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा–2022 के **लेवल–प्रथम** में निम्नानुसार न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत अर्जित करना अनिवार्य होगा:–

क्र.सं.	श्रेणी	न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत	
		Non TSP	**TSP**
1.	सामान्य / अनारक्षित	60	60
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	55	36
3.	अनुसूचित जाति (SC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अति पिछड़ा वर्ग (MBC) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	55	
4.	समस्त श्रेणी की विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं तथा भूतपूर्व सैनिक	50	
5.	दिव्यांग (निःशक्तजन) श्रेणी में नियमानुसार आने वाले समस्त व्यक्ति	40	
6.	सहरिया जनजाति के व्यक्ति	36 (सहरिया क्षेत्र)	

2. अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक परीक्षाओं एवं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा–2021(लेवल–प्रथम) अथवा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा–2022(लेवल–प्रथम) से संबंधित समस्त सूचनाएं (रोल नम्बर, प्राप्तांक, पूर्णांक, उत्तीर्ण करने का वर्ष, विश्वविद्यालय / बोर्ड का नाम, विषय) भरनी अनिवार्य है।
3. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करते समय नियुक्ति हेतु इच्छित जिलों की क्रमबद्ध प्राथमिकता (Preference) देनी अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON-TSP AREA) एवं अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA) के जिलों की प्राथमिकता भरना अनिवार्य होगा।
4. अध्यापक लेवल–प्रथम के पद हेतु वांछित शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यताओं सहित, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा–2021(लेवल–प्रथम) अथवा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा–2022 (लेवल–प्रथम) के लेवल–प्रथम में उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं।

SHARMA JOBS

1. ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया:—बोर्ड द्वारा आवेदन Online Application Formलिये जाएंगे जिन्हे राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी **विस्तृत विज्ञापन**, पंचायती राज नियम–1996 एवं एन.सी.टी.ई. की अधिसूचना दिनांक 23.08.2010 एवं 29.07.2011 तथा इनके संबंध में समय–समय पर किये गये संशोधन का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आवेदन करें।

1. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड के ऑनलाईन पोर्टल http://rsmssb.rajasthan.gov.in' पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ पोर्टल http://sso.rajasthan.gov.in से Login पर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन करना होगा। अभ्यर्थी Apply Now पर क्लिक करेगा। उसके पश्चात् अभ्यर्थी को चयनित पद का आवेदन खुलेगा। आवेदन में अभ्यर्थी सर्वप्रथम REET EXAM LEVEL, YEAR एवं ROLL Number का विवरण डाल कर GET DATA Option पर क्लिक करेगा। GET DATA पर क्लिक करने से अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, एवं जन्मतिथि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पूर्व में भरवाये गये REET के आवेदन से प्रदर्शित होंगे जिन पर संशोधन स्वीकार नही किया जायेगा। उक्त विवरण में संशोधन हेतु प्रार्थी को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से सम्पर्क करना होगा। शेष विवरण आवेदन पत्र के अनुरूप भरा जायेगा। समस्त विवरण भरने के बाद संतुष्ट हो जाने की स्थिति में उसको फार्म का प्रिव्यू उपलब्ध होगा जिसको फाइनल सबमिट करने के पश्चात् आवेदन शुल्क जमा किया जावेंगा एवं अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन कमांक जनरेट हो जायेगा। ऑनलाईन आवेदन कमांक अंकित आवेदन पत्र का अभ्यर्थी को प्रिन्ट निकाल लेना चाहिए।
2. अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् Recruitment Portal पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर आवेदन पत्र कमांक (Application ID) जनरेट करना होगा।
3. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें।
4. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transcation का लम्बित सत्यापन समय रहते हो सके अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
5. आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. दर्ज करें तथा इसे नहीं बदलें। महत्वपूर्ण सूचनाऐं आवेदन में दर्ज मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. पर ही भेजी जाती है।
6. **आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन पत्र कमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र कमांक (Application ID) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Sumbit नहीं माना जायेगा।**
7. अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा, किसी भी परिस्थिति में ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
8. आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करे। ई–मित्र हेल्पलाईन नम्बर 0141-2221424 / 2221425 एवं ऑनलाईन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाईन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें।
9. आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑनलाईन आवेदन करें। गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर बोर्ड अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वंतत्र होगा।
10. Online Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करे। ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण **आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नही किया जाएगा।**
11. प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य/विशेष शिक्षा (लेवल–प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) सीधी भर्ती–2022 के संबंध में समस्त पत्राचार बोर्ड की वेबसाइट **www.rsmssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से किया जायेगा। कृपया इस भर्ती परीक्षा के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी के लिये बोर्ड की वेबसाईट को निरंतर रूप से देखते रहें।**

2. आवेदन एवं परीक्षा शुल्क:—आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार शुल्क **राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)** के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाईन जमा करवावें।

(क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु –**रूपये 450/–**

(ख) राजस्थान के नॉन क्रीमलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक हेतु –**रू 350/–**

(ग) समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु –**रूपये 250/–**

(घ) कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.8(3) कार्मिक/क–2/18 दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है, के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क **रूपये 250/–**देय है। (कृपया इस संबंध में नीचे अंकित नोट संख्या 3 भी अवश्य देखें।)

नोटः–

1. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।
2. फीस एक बार जमा होने पर वापिस नहीं लौटाई जायेगी।
3. सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है तथा वें परीक्षा शुल्क रूपये 250/– ही जमा कराते है, ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण–पत्र मुख्य परीक्षा के बाद की जाने वाली पात्रता की जांच एवं दस्तावेज के सत्यापन के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

3. <u>प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य/विशेष शिक्षा (लेवल–प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) सीधी भर्ती, 2022 के अन्तर्गत जिलेवार एवं वर्गवार रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः–</u> गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON-TSP AREA) एवं अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA) के सामान्य/विशेष शिक्षा के पृथक–पृथक पदों का जिलेवार एवं वर्गवार विस्तृत विवरण निम्नानुसार Annexure पर संलग्न है।

क्र.स.	पद का नाम	क्षेत्र का विवरण	Annexure संख्या
1	अध्यापक लेवल प्रथम (सामान्य शिक्षा)	गैर अनुसूचित क्षेत्र	Annexure – 1
2	अध्यापक लेवल प्रथम (विशेष शिक्षा) (एम.आर.)	गैर अनुसूचित क्षेत्र	Annexure – 2
3	अध्यापक लेवल प्रथम (विशेष शिक्षा) (एच.आई.)	गैर अनुसूचित क्षेत्र	Annexure – 3
4	अध्यापक लेवल प्रथम (विशेष शिक्षा) (वी.आई.)	गैर अनुसूचित क्षेत्र	Annexure – 4
5	अध्यापक लेवल प्रथम (सामान्य शिक्षा)	अनुसूचित क्षेत्र	Annexure – 5
6	अध्यापक लेवल प्रथम (विशेष शिक्षा) (एम.आर.)	अनुसूचित क्षेत्र	Annexure – 6
7	अध्यापक लेवल प्रथम (विशेष शिक्षा) (एच.आई.)	अनुसूचित क्षेत्र	Annexure – 7
8	अध्यापक लेवल प्रथम (विशेष शिक्षा) (वी.आई.)	अनुसूचित क्षेत्र	Annexure – 8

नोटः–

1. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेगें। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाईन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करें। अनुसूचति क्षेत्र के कॉलम में अंकन नही करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदो के लिये विचार नही किया जायेगा।
2. गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरूद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगें। यदि अभ्यर्थी का चयन अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है तो अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपना लिखित में विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि वह अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में से किस क्षेत्र में अपना चयन चाहता है तथा किस क्षेत्र के अपने चयन को निरस्त करवाना चाहता है। विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी का अंतिम चयन अनुसूचित क्षेत्र में माना जावेगा।
3. महिला, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाडी एवं दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) से होगा।
4. विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित **पदों की संख्या में कमी या बढोतरी** की जा सकती है एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

<u>विशेष सूचनाः–</u>

1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियो को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।
2. कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनूसूचित जाति/अनूसूचित जनजातियों के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षो के लिए अग्रनीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षो की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रनीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी।
   यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप–नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा।
   परन्तु यह और कि इस उप–नियम के अधीन सामान्य प्रकिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिये ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षो में उपलब्ध हो।
3. **राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जाएगा।**

4. **महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण** क्षैतिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Categorywise) 30 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण:— किसी वर्ग (अनारक्षित पद(सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरूष आवेदक से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

5. महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विवाह विछिन्न महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नही होती हैं तो विधवा के लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह–विछिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नही होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परित्यक्ता दोनो ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नही होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। **विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश/डिक्री प्रस्तुत करनी होगी। परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश/डिक्री इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।**

6. **अति पिछडा वर्ग के लिये** राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.2 (12)/विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछडा वर्ग में शामिल जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 05 प्रतिशत आरक्षण देय है।

7. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये** राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.7 (1)/कार्मिक/क–2/2019 दिनांक 19.02.2019 एवं 20.10. 2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।

8. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरूद्व चयन हेतु **आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग) के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।**

9. राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग /अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जावेगा।

10. **बांरा जिले की सहरिया आदिम जाति** के आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही उन्हे बांरा जिले में सहरिया जाति के लिये राज्य सरकार के निर्देश कमांक प.13(20) कार्मिक/क–2/91पार्ट दिनांक 16.01.2020 के अनुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।

11. **भूतपूर्व सैनिकों हेतु :–**
(क) भूतपूर्व सैनिको के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।
(ख) भूतपूर्व सैनिक :–
(1) प्रतिरक्षा (थल, जल, वायु सेना) सेवाओं से सेवामुक्ति के समय आवेदक का चरित्र ''अच्छा'' से कम नहीं होना चाहिये जैसा कि उसकी सेवामुक्ति में दर्शाया गया हो।
(2) प्रतिरक्षा सेवा से सेवामुक्ति के पश्चात् किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे नियोजन के लिये अर्हक बना दे।
भूतपर्व सैनिकों को आरक्षण राजस्थान **सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के प्रावधानो के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.12.2022 के अनुसार भूतपूर्व सैनिको के लिये रिक्तियो का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिको की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्तिया सामान्य प्रकिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियो की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तिया व्यपगत हो जायेगी।** भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक एफ.5(18) कार्मिक/क–2/84 पार्ट–II दिनांक 17.04.2018 यथा संशोधित एवं 22.12.2020 के अनुसार प्रावधान भी लागू होंगें। **कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(18) डीओपी/ए–II/84 पार्ट IV दिनांक 01.08.2021 के अनुसार ''भूतपूर्व सैनिक'' के संदर्भ में व्यक्ति जो राज्य में बसे हुए है, से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है, अभिप्रेत है। उक्त अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग का लाभ दिया जायेगा।**

''कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर–भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर–भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा।''

''यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहां कहीं भी निहित किये गये हों, तो पांच प्रतिशत या भूतपूर्व सैनिक की अनुपलब्धता की दशा में और पांच प्रतिशत अथवा सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित, जो भी उच्चतम हो, का शिथिलीकरण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जायेगा।'';

यदि किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक कार्यग्रहण नही करता है तो ऐसी स्थिति को नियमानुसार सामान्य प्रकिया के अनुसार भरा जावेगा और रिक्तियो की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष मे अग्रनीत की जायेगी तथा तत्पश्चात ऐसी रिक्तियां व्यपगत (Lapse) हो जावेगी।

किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य के अधीन किसी भी लोक सेवा में नियोजन स्वीकार कर लेने के बाद वह भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपनी प्रास्थिति (Status) खो देगा और वह केवल लोकसेवक (Civil Employee) के रूप में ही माना जाएगा। अर्थात् भूतपूर्व सैनिक के रूप में देय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त लोक सेवा के किसी पद पर पुर्नियोजन स्वीकार करते ही उसका भूतपूर्व सैनिक के रूप में कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार सामान्यतः समाप्त समझा जावेगा, परन्तु सीधी भर्ती के ऐसे पदों के संबंध में, जहां नियमों में निम्न पद का अनुभव भी निर्धारित किया गया है, किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा निम्न पद पर नियोजित होने के कारण, भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का अधिकार समाप्त हुआ नही समझा जायेगा परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिये आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारम्भिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिसके लिये उसने आवेदन किया है, के लिये आवेदन की तारीख वार ब्यूरों के बारे में स्वतः घोषणा पत्र/बचनबंध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिये उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवृजित नही किया जायेगा। भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमितक/संविदा/अस्थाई/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवृजित नही किया जायेगा।

12. **<u>उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु</u>:– उत्कृष्ट खिलाडियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक F.5(31)DOP/A-II/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% देय होगा। उत्कृष्ट खिलाडी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।** आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जाएगी। उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी में केवल वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए–।।/84 दिनांक 21–11–2019 में नीचे वर्णित योग्यता रखता हो। इनसे भिन्न योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी का उत्कृष्ट खिलाडियों के लिये आरक्षित पदों पर चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।

<u>उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्बन्धी प्रावधान</u> :–कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए–।।/84 दिनांक 21–11–2019 के अनुसार "उत्कृष्ट खिलाडी' से ऐसे खिलाडी अभिप्रेत है जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी है और जिन्होंने :–

1. उक्त सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 3 में उल्लिखित खेलकूद के किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैंपियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो;

क्र. सं. 1	अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था 2	टूर्नामेंट /चैंपियनशिप का नाम 3
1	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.)	ओलम्पिक गेम्स (ग्रीष्मकालीन)
2	एशिया ओलम्पिक परिषद (ओ.सी.ए.)	एशियन गेम्स
3	दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद (एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियन गेम्स; जो सामान्यतः सैफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं।
4	राष्ट्रमण्डल खेल परिसंघ (सी.जी.एफ.)	राष्ट्रमण्डल गेम्स
5	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ	विश्व कप/ विश्व चैंपियनशिप
6	एशिया ओलम्पिक परिषद से संबद्ध एशियन खेल परिसंघ	एशियन चैंपियनशिप
7	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ (आई.एस.एस.एफ.)	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल गेम्स/चैंपियनशिप
8	एशियन स्कूल खेल परिसंघ (ए.एस.एस.एफ)	एशियन स्कूल गेम्स/चैंपियनशिप

या

2. स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;

या

3. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन(एन.एस.एफ.) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैंपियनशिपमें व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;

या

4. एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

5. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन/पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल चैंपियनशिप/पैरा नेशनल चैंपियनशिप या नेशनल गेम्स/नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।"

नोटः– कृपया उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जिनके पास उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार खेल प्रमाण पत्र हों। यदि किसी आवेदक ने जान–बूझकर बिना योग्य खेल प्रमाण पत्र उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी अंकित की है, तो बोर्ड द्वारा ऐसे आवेदक के विरूद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है। **उत्कृष्ट खिलाडी को खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।**

SHARMA JOBS

13. **दिव्यांगजन (निःशक्तजन) के लिये प्रावधान :–**

I. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23.01.2019 के द्वारा राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2018 लागू किये गये है, अतः उक्त नियमों के अनुसार विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण देय होगा।

II. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2018 के नियम–6(2) बी के अन्तर्गत गठित समिति की बैठक दिनांक 10.12.2021 में लिये गये निर्णयानुसार निम्नलिखित श्रेणी के विशेष योग्यजन को ही आरक्षण का लाभ देय होगा:–

1.अध्यापक–लेवल प्रथम, सामान्य शिक्षा

क्र.सं.	समूह	उपयुक्त बैंचमार्क दिव्यांगता	देय आरक्षण प्रतिशत
1	(अ) दृष्टि बाधित	बी (नेत्रहीन), एल.वी. (कम दृष्टि)	01 %
2	(ब) श्रवण बाधित	एच.एच. (ऊँचा सुनने वाला)	01 %
3	(स) सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड पीड़ित, मांसपेशियों की डिस्ट्रोफी सहित चलन–निःशक्तता	ओए. (एक भुजा), ओ.एल. (एक पैर), बीएल (दोनों पैर), ओएएल (एक भुजा और एक पैर), सीपी (प्रमस्तिष्किय पक्षाघात), एलसी (कुष्ठ उपचारित), डीडब्ल्यू (बौनापन), एएवी (एसिड हमला पीडित)	01 %
4	(द) ऑटिज्म, बौद्धिक निःशक्तता, लर्निंग निःशक्तता एवं मानसिक रूग्णता	एसएलडी (विशिष्ट अधिगम अक्षमता), एमआई (मानसिक रूग्णता),	01 %
5	(इ) बहु दिव्यांगता (एम.डी.)	एम.डी (बहु दिव्यांगता)(उपरोक्त अ से द मिलाकर)	

2. अध्यापक, विशेष शिक्षा, वी.आई. (ब्लाइन्ड/कम दृष्टि के लिए) :–

क्र.सं.	समूह	उपयुक्त बैंचमार्क दिव्यांगता	य आरक्षण प्रतिशत
1	(अ) दृष्टि बाधित	बी (नेत्रहीन), एल.वी. (कम दृष्टि)	01 %
2	(ब) श्रवण बाधित	एच.एच. (ऊँचा सुनने वाला)	01 %
3	(स) सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड पीड़ित, मांसपेशियों की डिस्ट्रोफी सहित चलन–निःशक्तता	ओए. (एक भुजा), ओ.एल. (एक पैर), बीएल (दोनों पैर), ओएएल (एक भुजा और एक पैर), डीडब्ल्यू (बौनापन), एएवी (एसिड हमला पीडित)	01 %
4	(द) ऑटिज्म, बौद्धिक निःशक्तता, लर्निंग निःशक्तता एवं मानसिक रूग्णता	एमआई (मानसिक रूग्णता),	01 %
5	(इ) बहु दिव्यांगता (एम.डी.)	एम.डी (बहु दिव्यांगता) (उपरोक्त अ से द मिलाकर)	

3. अध्यापक, विशेष शिक्षा, एच.आई. (सुनवाई और भाषण बाधा के लिए) :–

क्र.सं.	समूह	उपयुक्त बैंचमार्क दिव्यांगता	य आरक्षण प्रतिशत
1	(अ) श्रवण बाधित	डी. (बहरा), एच.एच. (ऊँचा सुनने वाला)	1.33 %
2	(ब) सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड पीड़ित, मांसपेशियों की डिस्ट्रोफी सहित चलन–निःशक्तता	ओए. (एक भुजा), ओ.एल. (एक पैर), बीएल (दोनों पैर), ओएएल (एक भुजा और एक पैर), एलसी (कुष्ठ उपचारित), डीडब्ल्यू (बौनापन), एएवी (एसिड हमला पीड़ित)	1.33 %
3	(स) ऑटिज्म, बौद्धिक निःशक्तता, लर्निंग निःशक्तता एवं मानसिक रूग्णता	एमआई (मानसिक रूग्णता),	1.34 %
4	(द) बहु दिव्यांगता (एम.डी.)	एम.डी (बहु दिव्यांगता) (उपरोक्त अ से स मिलाकर)	

SHARMA JOBS

4. अध्यापक, विशेष शिक्षा, एम.आर. (मानसिक विमंदित के लिए) :–

क्र.सं.	समूह	उपयुक्त बैंचमार्क दिव्यांगता	देय आरक्षण प्रतिशत
1	(अ) दृष्टि बाधित	बी (नेत्रहीन), एल.वी. (कम दृष्टि)	01 %
2	(ब) श्रवण बाधित	एच.एच. (ऊँचा सुनने वाला)	01 %
3	(स) सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड पीड़ित, मांसपेशियों की डिस्ट्रोफी सहित चलन–निःशक्तता	ओए. (एक भुजा), ओ.एल. (एक पैर), बीएल (दोनों पैर), ओएएल (एक भुजा और एक पैर), सीपी (प्रमस्तिष्किय पक्षाघात), एलसी (कुष्ठ उपचारित), डीडब्ल्यू (बौनापन), एएवी (एसिड हमला पीडित)	01 %
4	(द) ऑटिज्म, बौद्धिक निःशक्तता, लर्निंग निःशक्तता एवं मानसिक रूग्णता	एएसडी (एम) (ऑटिष्म स्पेक्ट्रम डिऑर्डर –अत्यल्प), एसएलडी (विशिष्ट अधिगम अक्षमता), एमआई (मानसिक रूग्णता),	01 %
5	(इ) बहु दिव्यांगता (एम.डी.)	एम.डी (बहु दिव्यांगता) (उपरोक्त अ से द मिलाकर)	

a. दिव्यांगजन के लिये दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछडा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।

b. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति, उपयुक्त बैंचमार्क दिव्यांगजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जाएगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः दिव्यांगजन की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जाएगा। यदि उस वर्ष में भी कोई दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को दिव्यांगजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।

c. दिव्यांगजन आवेदक Online application form में यथास्थान अपने वर्ग एवं दिव्यांगजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें। **दिव्यांगजन प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।**

d. ऐसे आवेदक जो दिव्यांगजन की श्रेणी में आते है, अपनी दिव्यांगजन के सम्बन्ध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थाई दिव्यांगजन प्रमाण–पत्र (Permanent Disability Certificate) में दिव्यांगजन का स्पष्ट प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तता व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यजन होने पर ही अभ्यर्थी को दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।

e. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधित) नियम–2021 दिनांक 14.10.2021 के नियम 6(B) में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में "यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहां कहीं भी निहित किये गये हों, तो पांच प्रतिशत का शिथिलीकरण दिव्यांगजन को दिया जायेगा।";

4. अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश :–

1. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगें। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी है और जो स्वयं या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता–पिता/पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे है। कार्मिक(क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार इनके अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा संबंधित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है।
2. अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.13(20) कार्मिक/क–2/91/पार्ट दिनांक 04.07.2016 के अनुसार की जायेगी।
3. अनुसूचित क्षेत्र के लिए कार्मिकों का चयन राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम–2014 के अधीन होगा। जहां पर इन नियमों में स्पष्ट प्रावधान नही है, वहां पर राजस्थान पंचायती राज नियम–1996 यथा संशोधित के प्रावधान लागू होंगे।
4. अनुसूचित क्षेत्र भारत के राष्ट्रपति, द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या एफ. 19(2) 80–एल–1 दिनांक 12.02.1981 द्वारा घोषित क्षेत्र के कम में कार्मिक(क–2) विभाग ने अपने परिपत्र कमांक प.13(20) कार्मिक/क–2/91/पार्ट–3 दिनांक 01.06.2018 द्वारा भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना दिनांक 19.05.2018 (बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध) के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र को विखण्डित (Rescinds) करते हुए, अनुसूचित क्षेत्रों को पुनः परिनिश्चित (Redefined) किया गया है।अनुसूचित क्षेत्र के आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अधिसूचना में शामिल अनुसूचित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुये ही अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

नोटः–अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु, पेंशन, विवाह पंजीयन, परीक्षा शुल्क जमा कराने, ऑनलाईन आवेदन भरने एवं आवेदन में संशोधन की प्रकिया, नियुक्ति की अयोग्यताएं, प्रमाण–पत्रों के सत्यापन, अनुचित साधनो की रोकथाम एवं परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं स्कीम संबंधी इत्यादि प्रावधान गैर–अनुसूचित क्षेत्र के समान यथावत लागू होंगे।

SHARMA JOBS

5. **वेतनमानः**— राजस्थान पंचायतीराज नियम—1996 के नियम 286 के अनुसार नवचयनित अभ्यर्थियों को 02 वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति दी जायेगी। राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम—2017 के नियम 16 की अनुसूची (iv) के अनुसार परिवीक्षाकाल में नियत पारिश्रमिक रूपये 23700/—देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नही होंगे। परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधाएँ एवं अवकाश आदि राजस्थान पंचायतीराज नियम एवं राजस्थान सेवा नियमों में विहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षु अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतन श्रृंखला का नियमित सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान **लेवल—10** के अनुसार देय होगा।

6. **पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यताः—**

प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य/विशेष शिक्षा (लेवल—प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) सीधी भर्ती—2022 के पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताऐं:—

राजस्थान पंचायतीराज नियम—1996 के नियम 266(3) में उल्लेखित योग्यताओं के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा (23) की उप धारा (1) के अन्तर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 23, अगस्त 2010 एवं 29 जुलाई 2011 के द्वारा संशोधित अधिसूचना में वर्णितानुसार न्यूनतम योग्यताएं एवं न्यूनतम अंक प्रतिशत विभिन्न वर्गों के लिए निम्नानुसार होंगे :—

6.1 कक्षा 1 से 5 (स्तर—प्रथम) के लिए :—

A. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)

Senior Secondary (Or its equivalent) with at least 50% marks and 2-year diploma in Elementary Education (By whatever name known)

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम—2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

Senior Secondary (Or its equivalent) with at least 45% marks and 2-year diploma in Elementary Education (By whatever name known), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations-2002

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.)

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed.)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (विशेष शिक्षकों के लिये)

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2-year diploma in Education (Special Education) (For Special Teachers)

अथवा

स्नातक तथा प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)

Graduation with 2 year diploma in Elementary Education (By whatever name known)

नोटः—उच्च माध्यमिक परीक्षा के न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत के संबंध में राज्य सरकार के पत्रांक पं. 7(13)/प्राशि/आयो/2019 दिनांक 20.12.2021 के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थी राजस्थान प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य/विशेष शिक्षा (लेवल—प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) सीधी भर्ती—2022 में आवेदन हेतु पात्र होंगे:—

(i) उमावि स्तर पर अंकों के न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदधारियों के मामलों में लागू नही होगी, जिन्होने प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में दिनांक 29, जुलाई 2011 से पहले दाखिला ले लिया था।

(ii) ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई 2011 या उसके बाद में प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया हैं, उनके उमावि में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त होने की बाध्यता है।

SHARMA JOBS

B. राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा–2021 (लेवल प्रथम) अथवा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा–2022 (लेवल प्रथम) राज्य सरकार के आदेश पत्रांकःपं.7(13) प्राशि/आयो/2019 जयपुर, दिनांक 16.12.2020 के अनुसार निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए।

6.2 अध्यापक लेवल प्रथम, सामान्य शिक्षा के पदों हेतु प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डी.एल.एड, सामान्य शिक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा लेवल प्रथम विशेष शिक्षा के पदों हेतु शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

6.3 **शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा** :– राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा पाठ्यक्रम मान्य होगा। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) तथा विशेष शिक्षा के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद् (आर.सी.आई.) द्वारा मान्यता–प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा।

6.4 **विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण**–वह व्यक्ति, जिसने डी.एड. (विशेष शिक्षा) उत्तीर्ण की हो, नियुक्ति के बाद प्रारम्भिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त 6 महिने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6.5 लेवल प्रथम के पदों पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के न्यूनतम निर्धारित प्राप्तांक प्रतिशत के मापदण्डों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया एवं विशेष योग्यजन वर्ग एवं सामान्य वर्ग की विधवा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों के लिए ***निर्धारित अर्हक अंकों में नियमानुसार 5 प्रतिशत अंक की छूट देय होगी।***

6.6 अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित अन्तिम दिनांक तक सभी न्यूनतम योग्यताऐं (शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक एवं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा आदि) अर्जित करना अनिवार्य है। ***आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी, ऐसे अभ्यर्थी अपात्र होगें।***

7. **राष्ट्रीयता** :–

(क) भारत का नागरिक हो, या
(ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या
(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या
(घ)ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1–1–62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आया था, या
(ङ.) भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टंगानियातथा जंजीबार), जाम्विया, मालवी, जैर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो।

नोटः–परन्तु शर्त यह है कि वर्ग (ख),(ग),(घ),(ङ.) से सम्बन्धित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. **आयुः**– राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 265 के अनुसार आयु की दृष्टि से राजकीय सेवा में प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य/विशेष शिक्षा (लेवल–प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) के पद पर आवेदन एवं नियुक्ति हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जो दिनांक 01.01.2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया होना चाहिए और 40 वर्ष आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए।
राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 23.09.2022 द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन कर आयु सीमा में छूट दी है। इसी अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट निम्नानुसार और देय होगी :– "The person who was within the age limit on 31.12.2020 shall be deemed to be within the age limit upto 31.12.2024."

पंचायती राज विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.4(3)Am/ Rules/Legal/PR/2010/1095 दिनांक 21.06.2010 के अनुसार जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों हेतु भर्ती नही हुई है और कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जायेगा, किन्तु यह छूट 03 वर्ष से अधिक नही दी जायेगी।

निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यार्थियों को निम्नानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट देय हैः–

i. राजस्थान राज्य के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सहरिया वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के लिये ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।
ii. सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों एवं अन्य राज्यों की समस्त वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।
iii. राजस्थान राज्य के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सहरिया वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिये ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी।
iv. भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
v. पंचायतों के सचिवों के रूप में पहले से कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, 03 वर्षों की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, पंचायत सचिव के रूप में की गई सेवा की कालावधि तक शिथिलनीय होगी।
vi. विधवाओं एवं तलाकशुदा महिलाओं के मामलों में अधिवार्षिकी आयु प्राप्ति तक कोई आयु सीमा नहीं होगी।

स्पष्टीकरण : उसे विधवा होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी से जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र देना होगा और तलाकशुदा होने के मामले में नियमानुकूल माननीय न्यायालय से जारी विवाह–विच्छेद की डिक्री प्रस्तुत करनी होगी।

vii. जो व्यक्ति किसी पंचायत समिति या किसी जिला परिषद् के अधीन अपनी अस्थाई नियुक्ति के समय विहित आयु सीमा के भीतर थे,उनके लिए ऊपरी आयु सीमा, पंचायत समिति या जिला परिषद् के अधीन उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि तक शिथिलनीय होगी।

viii. उपर उल्लेखित उपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नही होगी जो उसकी दोषसिद्धि से पूर्व किसी भी पद पर अधिष्ठायी आधार पर पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अधीन सेवा कर चुका है और इन नियमों के अधीन वह नियुक्ति का पात्र था।

ix. उपर उल्लेखित उपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी की दशा में जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व अधिक आयु का नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था, मुक्त कारावास की अवधि के बराबर कालावधि तक शिथिल की जायेगी।

x. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना दिनांक 14.10.2021 के अनुसार राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम–2018 के उपनियम 6–A के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर बैंचमार्क निःशक्तजन अभ्यर्थियों को उपरी आयु में 5 वर्ष की छूट देय होगी एवं यह छूट उनके वर्ग के अनुसार उपरी आयु में देय छूट के अतिरिक्त होगी।

नोट :–उपरोक्त पैरा के प्रावधान i से ix तक पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) है, अर्थात दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को छोडकर अन्य अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोडकर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा। आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा मे छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई न्यूनतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नही दी जायेगी।

9. आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधि:–

(क) परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क, जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.), नेट बैंकिंग, ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से **दिनांक 21.12.2022 से दिनांक 19.01.2023 को रात्रि 23.59 बजे** तक जमा कराया जा सकता है।

(ख) ऑनलाईन आवेदन पत्र **दिनांक 21.12.2022 से दिनांक 19.01.2023 को रात्रि 23:59 बजे तक** बोर्ड की वेबसाईट पर भरें जा सकते है (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाऐगा)। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करे।

10. परीक्षा आयोजन:– राजस्थान प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य/विशेष शिक्षा (लेवल–प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) सीधी भर्ती–2022 की परीक्षा बोर्ड द्वारा **दिनांक 25.02.2023 से दिनांक 28.02.2023 तक** आवंटित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित करवाई जायेगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाईट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जायेगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

11. प्रवेश पत्र:–बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाईट के माध्यम से ही आनॅलाईन प्रवेश–पत्र जारी किये जाएंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। बोर्ड की वेबसाईट पर प्रवेश–पत्र जारी किये जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाईट के माध्यम से जारी की जाएगी। आवेदक अपना प्रवेश–पत्र वेबसाईट से प्राप्त करने हेतु **आवेदन पत्र क्रमांक** एवं जन सुविधा (C.S.C) पर फीस जमा कराने का **टोकन नम्बर** ध्यान मे रखे। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश–पत्र सम्बन्धी सूचना आवेदक के ई–मेल आईडी (E-mail ID) एवं मोबाइल नम्बर पर भेजी जा सकती है।

12. नियुक्ति की अयोग्यताऐं :–

i. किसी भी ऐसे पुरूष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

ii. किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा । किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है ।

iii. कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो ।

iv. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1–6–2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढोत्तरी नहीं होती,

परन्तु यह और कि जहां किसी आवेदक के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानो की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।

v. यदि अभ्यर्थी –(a) अच्छे चरित्र का नही है, या (b) किसी भी अन्य पंचायती राज संस्था या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या राज्य या केन्द्रीय सरकार की सेवा से अपचार के कारण पदच्युत किया गया है, या (c) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, या (d) किसी पंचायती राज संस्था या किसी नगरपालिका का सदस्य है तो वे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

SHARMA JOBS

vi. कोई भी उम्मीदवार जिसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने छद्मकारिता (अपने आप को अन्य व्यक्ति होना बताना) करने, या कांट–छांट किए हुए जाली दस्तावेज पेश करने या गलत बयान देने या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने या परीक्षा में अनुचित तरीके काम में लेने या लेने का प्रयत्न करने, या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित तरीके अपनाने का दोषी घोषित किया हो, वह अपने आप को फौजदारी मुकदमों का उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए, स्थाई रूप से या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक के लिए बहिष्कृत (Debarred)कर दिया जायेगा।

13. अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान :–

I. अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष हेतु आरक्षित पदों का लाभ तभी देय होगा जब उनके मूल दस्तावेजों की जांच उपरान्त अभ्यर्थी नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र है।

II. आरक्षित पदों हेतु अभ्यर्थियों को राजस्थान राज्य में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

III. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2022 के अनुसार आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) का लाभ तब ही देय होगा जबकि आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में आरक्षण का लाभ, प्रमाण–पत्र जारी होने की दिनांक से देय होता है और अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र, आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। अतः भर्ती हेतु अभ्यर्थी की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण–पत्र के आधार पर किया जावेगा।

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17.10.2022 के अनुसार उक्त परिपत्र के अन्त में निम्न परन्तुक जोडा गया है:–

"यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अन्तिम तिथि तक जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अन्तिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी से इस आशय का एक शपथ–पत्र लिखा जावें कि वह आवेदन की अन्तिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाये जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।"

IV. **जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधिः– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जाति प्रमाण–पत्र दिशा–निर्देश दिनांक 09.09.2015 के अनुसार :–**

i. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये जारी किये गये जाति प्रमाण पत्रो की अवधि जीवन पर्यन्त होगी जबकि ओबीसी के लिये संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जावेगा परन्तु क्रिमीलेयर में नही होने संबंधी तथ्य को तीन वर्ष के विधि सम्मत शपथ–पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी।

ii. क्रिमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा एक बार क्रिमीलेयर में नही होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रिमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जावे ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता हैं।

iii. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 21.06.2019 के अनुसार अति पिछडा वर्ग में वर्णित जातियों को अन्य पिछडा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अति पिछडा वर्ग का लाभ देय होगा।

V. अन्य पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र जो पिता के नाम, निवास एवं आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ हो, प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम, निवास एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नही होगा।

VI. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया आदिम जाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिये, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया आदिम जाति की विवाहित महिला आवेदक को इन वर्गो के लिये आरक्षित पदों का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम, निवास के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नही होगा।

VII. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को जारी किये जाने वाले Income & Asset Certificate की वैधता के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र कमांक एफ11( )/आ.क.व/डीडीवीसी/सान्याअवि/19/28046 दिनांक 06.05.2022 के द्वारा यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि राज्य के लिए जारी Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार उक्त Income & Asset Certificate जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ–पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को ही मान लिया जावेगा, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है।

VIII. अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता से संबंधित परीक्षाएं ऑनलाईन आवेदन की निर्धारित अन्तिम दिनांक से पूर्व उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, परित्यकता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाडी, विशेष योग्यजन संबंधी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

IX. भूतपूर्व सैनिकों के पदों हेतु आरक्षित पदों का लाभ ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम निर्धारित दिनांक से पूर्व का सक्षम स्तर से जारी सेवानिवृति प्रमाण पत्र/एन ओ सी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगा।

SHARMA JOBS

X. उत्कृष्ट खिलाडियों के पदों हेतु सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र जो ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम निर्धारित दिनांक से पूर्व का हो का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उत्कृष्ट खिलाडी कोटे के पदों का लाभ देय होगा।

XI. विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पति के नाम से लिंक ऐसा दस्तावेज/साक्ष्य जिसमें उसके पति का नाम अंकित हो यथा विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र पति के नाम से जारी मूल निवास/जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

XII. परित्यक्ता/विवाह विच्छिन श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का माननीय न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेद की डिक्री/आदेश प्रस्तुत करने पर ही इस श्रेणी हेतु पात्र माना जायेगा।

XIII. शासन के परिपत्र क्रमांक पं.6(19)गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह–पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है अतः इस संबंध मे विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना वांछनीय है।

XIV. विवाहित महिलाओं के लिये संतान संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं विधवा और परित्यकता श्रेणी की महिलाओं को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नही किये जाने संबंधी या विधवा/परित्यकता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

XV. अभ्यर्थी को अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र यथा समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें चरित्र के संबंध में कम से कम " अच्छा" का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी को दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य है।

XVI. अभ्यर्थी को चयन उपरान्त आचरण संबंधी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जिसमें आवेदक के विरूद्व ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नही होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति मे बाधा/समस्या उत्पन्न हो। किसी आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्व होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प(1)कार्मिक/क–2/2016 दिनांक 04.12.2019 के प्रावधानुसार अभ्यर्थी की पात्रता का निर्धारण किया जायेगा।

XVII. अभ्यर्थी को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जांच संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र यथासमय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिये पूर्णतः उपयुक्त है।

XVIII. ऐसे आवेदक जो पहले से राजकीय सेवा में हो, या राजकीय औद्योगिक उपक्रमों में हो, या किसी प्रकार के अन्य संगठनों में हो, या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हो, उन्हे नियुक्ति के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जो आवेदक पहले से ही राजकीय सेवा/उक्त उपक्रमों में कार्यरत् है, उन्हें अपने नियोक्ता को इस भर्ती हेतु आवेदन करने की लिखित सूचना दी जाकर अनापत्ति प्राप्त कर लेना चाहिये। संबंधित नियुक्ति अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण–पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को पूर्व सेवा से त्याग–पत्र देकर नव–नियुक्ति के समय त्याग–पत्र स्वीकार करने सम्बन्धी आदेश प्रस्तुत करना होगा।

XIX. उक्त समस्त प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम निर्धारित दिनांक से पूर्व के जारी होने अनिवार्य है, ऑनलाईन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक के पश्चात का प्रमाण पत्र होने पर वर्ग विशेष का लाभ देय नही होगा।

XX. आवेदको द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता जांच की जायेगी , अतः इस संबंध में पात्रता संबंधी समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा। पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच के समय पात्र नहीं पाये जाने पर वह अभ्यर्थी अपात्र माना जायेगा, जानबूझ कर गलत सूचना भरे जाने की स्थिति में आवेदक के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

XXI. किसी भी प्रतियोगी/पात्रता परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस भर्ती हेतु आवेदन नहीं कर सकते।

14. ऑनलाईन आवेदन के विशेष निर्देशः–

1. ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही–सही एवं पूर्ण भरी गई है। समस्त प्रविष्टिया पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुये परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
2. बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदक पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में संशोधन की अवधि समाप्त होने के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नही दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
3. आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र अन्तिम दिनांक तक बोर्ड कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होगें, ऐसे आवेदकों को बोर्ड द्वारा अन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश–पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि बोर्ड द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन–पत्र में की गयी प्रविष्टयॉ बोर्ड द्वारा सही मान ली गई है। बोर्ड द्वारा आवेदकों की पात्रता की जॉच मुख्य परीक्षा के बाद अलग से की जायेगी।

4.फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा–निर्देश

फोटो अपलोड़ करने के लिए दिशा–निर्देश :–

a. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
b. आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो (अधिकतम छः माह पुराना) अपलोड़ करनी चाहिए। मोबाईल व अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नही करें।
c. फोटो की पृष्ठभूमि (Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।
d. फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घेरना चाहिए।

SHARMA JOBS

e. फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढ़का हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।

f. यदि आप चश्मा पहनते है, तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं लेकिन चश्में पर चमक (Flash) नहीं होनी चाहिए।

g. आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए।

h. फोटो जेपीईजी (JPEG) प्रारूप में होना चाहिए एवं इसकी साईज 3.5 cm × 4.5 cm होनी चाहिए।

i. फोटो जेपीईजी (JPEG) के पिक्सेल न्यूनतम 240 × 320 एवं अधिकतम 480 × 640 (0.3 मेगापिक्सल) होना चाहिए।

j. फाईल का आकार 50 के.बी. से 100 के.बी. तक होना चाहिए।

k. स्कैन की गई फोटो का आकार 100 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

l. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य किया जा सकता है।

5.<u>हस्ताक्षर अपलोड़ करने के लिए दिशा–निर्देश</u> :–

a. आवेदक एक सफेद कागज (A4 size) पर 7 सेमी चौडाई एवं 2 सेमी ऊँचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें।

b. हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।

c. आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्केन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के पश्चात् अपलोड करें।

d. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर किये गयेआवेदक के हस्ताक्षर अपलोड़ हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।

e. केवल जेपीईजी(JPEG)प्रारूप को स्वीकार किया जाएगा।

f. जेपीईजी (JPEG) के लिए न्यूनतम पिक्सेल 280 × 80 से अधिकतम पिक्सेल 560 × 160 होना चाहिए।

g. फाईल का आकार 20 के.बी. से 50 के.बी. तक होना चाहिए।

h. हस्ताक्षर का आकार 50 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए

i. मोबाईल फोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

15. **<u>श्रुत लेखन की सुविधा</u>**:–सामान्यतयाः सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न–उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में वर्णित ऐसे विशेष योग्यजन (नेत्रहीन (Blind) सूर्यमुखी एवं अल्प दृष्टि न्यूनतम 40 प्रतिशत दृष्टिनिःशक्तता) या शारीरिक रूप से निःशक्त (जो बांह कटे होने या उंगलियों नहीं होने के कारण लिखने में असमर्थ है, को परीक्षा में श्रुतलेखक उपलब्ध करायें जायेंगें,परन्तु अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी। श्रुतलेखक उपलब्ध कराने हेतु ऐसे परीक्षार्थी प्रवेश पत्र प्राप्त होते ही वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित बोर्ड को सूचित करें एवं परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम तीन दिन पूर्व आंवटित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित श्रुतलेखक की व्यवस्था हेतु अनुरोध करें और प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित एक प्रतिकेन्द्राधीक्षक को भी दी जायेगी।

16. **<u>ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की प्रकिया</u>**:–**<u>बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाईन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।</u>** ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में **स्वयं के नाम, पिता के नाम, माता का नाम एवं जन्म तिथि के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता हैः–**

1. यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कराना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 07 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300/– रूपये देकर ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कर सकता है। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, माता के नाम एवं पद नाम, जन्म तिथि के अलावा अन्य प्रविशिष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने एवं संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा कराने की प्रकिया ऑनलाईन आवेदन करने की प्रकिया के समान ही होगी।
2. यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि रह जाती है तथा वह किसी कारणवश आवेदन करने की अंतिम दिनांक के पश्चात् 7 दिवस के भीतर अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन नहीं कर पाता है तो उसे अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने का एक ओर अंतिम अवसर परीक्षा आयोजन के पश्चात् ऑनलाईन त्रुटि संशोधन हेतु एक निश्चित समय दिया जायेगा जिसमें अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन की त्रुटि को ऑनलाईन संशोधन कर सकेगा। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु दिनांक एवं समय की सूचना पृथक से बोर्ड की वेबसाईट के माध्यम से दी जायेगी। उक्त निर्धारित समय में अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन मेंनिर्धारित संशोधन शुल्क 300/– रूपये ऑनलाईन आवेदन करने की प्रकिया के समान भुगतान कर संशोधन कर सकेगा। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी केवल श्रेणी, क्षैतिज श्रेणी, विशेष <u>श्रेणी/उप</u> श्रेणी, वैवाहिक स्थिति यथा विधवा, परित्यक्ता इत्यादि में संशोधन कर सकेगा।
3. अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में अपने स्वयं के नाम, माता–पिता के नाम, शैक्षणिक योग्यता, फोटो एवं अपने हस्ताक्षर में संशोधन नहीं कर सकेगा। आवेदक को अपने नाम, माता–पिता के नाम, पत्ते, शैक्षणिक योग्यता, फोटो एवं हस्ताक्षर से संबंधित त्रुटियों में संशोधन के लिये (चयन होने की स्थिति में) पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन के समय पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर अवसर दिया जायेगा।
4. इसके पश्चात् ऑनलाईन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा।

17. **<u>आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम</u>**:–आवेदकों को अपने ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचना सही–सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना चाहिए, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करनेएवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध बोर्ड/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम 2022 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination"तथा "The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016"के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। **परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 6) के**

प्रावधानों के तहत यथा वर्णित किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने या उनका सहारा लेने, अनाधिकृत प्रवेश, प्रश्न–पत्र का कब्जा व प्रकटीकरण तथा संबंधित अपराधों के लिए कठोर कानून का प्रावधान किया गया है। अनुचित साधनों में लिप्त परीक्षार्थी के लिए तीन वर्ष तक के कठोर कारावास एवं रूपये 1,00,000/– (अक्षरे एक लाख) न्यूनतम जुर्माना के प्रावधान किए गए हैं। परीक्षार्थी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा षड्यंत्र या अधिनियम वर्णित अनुचित साधनों में लिप्त होने पर या दुष्प्रेरित करने पर न्यूनतम पाँच वर्ष के कारावास जो कि दस वर्ष तक हो सकता है एवं न्यूनतम रूपये 10,00,000/– (अक्षरे दस लाख) का जुर्माना जो कि दस करोड़ तक हो सकता है, के दण्डित करने के प्रावधान किए गए हैं। दोष सिद्धि पर दो वर्ष की कालावधि के लिए कोई सार्वजनिक परीक्षा देने से विवर्जित किए जाने के भी प्रावधान किए गए हैं। उपरोक्त अधिनियम की विहित अनुसार कठोर पालना सुनिश्चित की जाएगी।

18. चयन प्रक्रिया :– राज्य सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अधिसूचना दिनांक 15.03.2022 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार राज्य स्तरीय वरियता एवं चयन सूची तैयार करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी :–

1. राजस्थान पंचायती राज नियम–1996 के नियम 277(क) के उपनियम (I) के अनुसार प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के पद इस हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तकों के आधार पर नियमानुसार वरीयता सूची तैयार की जायेगी।
2. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर (प्राधिकृत एजेन्सी) द्वारा शॉर्ट–लिस्टेड सूची के अभ्यर्थियो के प्रारम्भिक स्तर पर दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही करवाई जावेगी तथा दस्तावेज सत्यापन उपरान्त पात्र पाये गये अभ्यर्थियों की विज्ञापित रिक्त पदों के अनुसार श्रेणीवार वरीयता के आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी।
3. दस्तावेज सत्यापन में पात्र अभ्यर्थियों को लेवलवार/पदवार विज्ञापित पदों के अनुसार अन्तिम रूप से चयन कर राज्य स्तरीय वरीयता सूची(Merit List) तैयार की जायेगी।

नोटः– समान वरीयता (Merit) प्राप्त करने वाले अर्थात दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान प्राप्तांक होने पर इन अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र के अनुसार वरीयता निर्धारित की जावेगी। जन्म तिथि तथा प्राप्तांक समान होने पर अभ्यर्थी की उच्च शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वरीयता निर्धारित की जावेगी। उच्च शैक्षणिक योग्यता एवं जन्मतिथि समान होने की स्थिति में अभ्यर्थी की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर वरीयता निर्धारित की जावेगी। उपरोक्त समस्त परिस्थितियां समान होने पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूर्व में उत्तीर्ण किये गये वर्ष को प्राथमिकता देते हुए वरीयता निर्धारित की जावेगी।

19. राजस्थान प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य/विशेष शिक्षा (लेवल–प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) सीधी भर्ती–2022 हेतु परीक्षा की स्कीम निम्नानुसार होगी :–

परीक्षा की स्कीम

क्र.सं.	संक्षिप्त विवरण
1.	परीक्षा 300 अंकों की होगी।
2.	परीक्षा के लिए एक प्रश्न–पत्र होगा।
3.	प्रश्न–पत्र की समयावधि 02 घण्टे 30 मिनट होगी।
4.	प्रश्न–पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे। समस्त प्रश्न बहुविकल्पी होंगे।
5.	उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जाएगा। यहाँ गलत उत्तर से अभिप्राय अशुद्ध उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर होना है।

पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार

परीक्षा के लिए प्रश्न–पत्र का पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो प्राधिकृत अभिकरण द्वारा समय–समय पर विहित किया जाएगा और अभ्यर्थियों को समय के भीतर ऐसी रीति से, जो प्राधिकृत अभिकरण उचित समझे, सूचित किया जाएगा।

परीक्षा के लिए विषय एवं अंक–भार

अध्यापक, लेवल–प्रथम (कक्षा 1 से 5 तक के लिए)

क्र.सं.	विवरण	अंक–भार
	राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा **भूगोल** • राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप • मानसून तंत्र एवं जलवायु • अपवाह तंत्र– झीलें, नदियाँ, बांध • राजस्थान की वन–संपदा	100 अंक

	• वन्य जीव–जन्तु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभयारण्य • मृदाएँ एवं मृदा संरक्षण • राजस्थान की प्रमुख फसलें • जनसंख्या, जनसंख्या–घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात • राजस्थान की जनजातियाँ एवं जनजातीय क्षेत्र • धात्विक एवं अधात्विक खनिज • राजस्थान के ऊर्जा संसाधनः परम्परागत एवं गैर–परम्परागत • राजस्थान के पर्यटन स्थल • राजस्थान में यातायात के साधन इतिहास एवं संस्कृति • राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएँः कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराठ इत्यादि। • राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएँ, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था इत्यादि। • राजस्थान की स्थापत्य कलाः किले, स्मारक इत्यादि। • राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य एवं लोक नृत्य • राजस्थान की सांस्कृतिक परम्परा एवं विरासत • राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत एवं लोक देवता • राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल • राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व • राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण • राजस्थान की चित्रकलाएँ एवं हस्तशिल्प • 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन • प्रजामण्डल एवं राजस्थान का एकीकरण राजस्थानी भाषा • राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ • प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ • प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार • राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य	
	राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय राजस्थान का सामान्य ज्ञान • राजस्थान के प्रतीक चिह्न • राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएँ • राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केन्द्र • राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल • राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी • राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल इत्यादि। • राजस्थान के प्रमुख उद्योग। • राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था • राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएँ।	80 अंक

	शैक्षिक परिदृश्य • शिक्षण अधिगम के नवाचार। • राज्य में केन्द्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएँ एवं पुरस्कार। • विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियाँ। • राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम • नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 : प्रावधान एवं क्रियान्विति • राजस्थान नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 • राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश। सामयिक विषय • राजस्थान की सम–सामयिक घटनाएँ। • राज्य की अभिनव विकास योजनाएँ एवं क्रियान्विति • अन्य सम–सामयिक विषय।	
	विद्यालय विषय	
	• हिन्दी:– शब्द–भेद (संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया–विशेषण), संधि, समास, शब्द–रूपांतरण, शब्द–शुद्धि, मुहावरें एवं लोकोक्तियाँ।	10 अंक
	• English:- Articles, Tense, Voice, Narration, Idioms & Proverbs, Phrasal Verbs, One Word Substitution.	10 अंक
	गणित:– • पूर्ण संख्याएँ, अभाज्य और भाज्य संख्याएँ • गणितीय मूल संक्रियाएँ – जोड़, बाकी, गुणा, भाग • भिन्न की अवधारणा एवं दशमलव संख्याएँ • अभाज्य गुणनखण्ड, लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक • प्रतिशत, लाभ–हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज • रेखा एवं कोण • समतलीय आकृतियों के परिमाप एवं क्षेत्रफल • ठोस आकृतियों (घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोले) का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन	10 अंक
	सामान्य विज्ञान:– • अम्ल, क्षारक और लवण • तत्व, यौगिक एवं मिश्रण • भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन • गति • बल तथा गति के नियम	10 अंक

	● प्रकाश ● कोशिका: संरचना एवं प्रकार्य ● जीवों में श्वसन एवं परिवहन ● जन्तुओं में जनन	
	सामाजिक अध्ययन:— ● राजस्थान : एक परिचय ● मुगल साम्राज्य ● राजस्थान की अर्थव्यवस्था ● पृथ्वी के प्रमुख स्थलरूप ● भारत : प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव व वन्य जीव संरक्षण ● राजस्थान में कृषि ● भारतीय संविधान ● राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान ● राजस्थान में लोक प्रशासन	10 अंक
4.	शैक्षणिक रीति विज्ञान:— (अ) हिन्दी:— ● हिन्दी भाषा की शिक्षण विधियाँ ● भाषायी कौशल (सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना) एवं भाषायी कौशलों का विकास ● हिन्दी भाषा शिक्षण के उपागम ● हिन्दी शिक्षण में चुनौतियाँ ● हिन्दी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री एवं उनका उपयोग ● हिन्दी शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ ● निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण	08 अंक
	(ब) English:- ● Principles of teaching English ● Communicative English Language teaching ● Method s of Teaching English ● Difficulties in learning English(Role of home language multilingualism) ● Methods of evaluation, Remedial Teaching	08 अंक
	(स) गणित:— ● गणित विषय की शिक्षण विधियाँ ● गणित शिक्षण के उपागम ● गणित शिक्षण में चुनौतियाँ ● गणित शिक्षण सहायक सामग्री एवं उपयोग ● गणित शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ ● निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण	08 अंक

	(द) सामान्य विज्ञानः— • विज्ञान की शिक्षण विधियाँ • विज्ञान शिक्षण के उपागम • विज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री एवं उपयोग • विज्ञान शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ • निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण	08 अंक
	(य) सामाजिक अध्ययनः— • सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति • सामाजिक अध्ययन में शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री • सामाजिक अध्ययन में अध्यापन संबंधी समस्याएँ • प्रायोजना कार्य • सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन • निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण	08 अंक
5.	शैक्षणिक मनोविज्ञान :— • शैक्षिक मनोविज्ञान : अर्थ, क्षेत्र एवं कार्य • बाल विकास : अर्थ, बाल विकास के सिद्धान्त एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक • बाल विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव • व्यक्तित्व : संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व मापन • बुद्धि : संकल्पना, विभिन्न बुद्धि सिद्धान्त एवं मापन • अधिगम का अर्थ एवं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक • अधिगम के विभिन्न सिद्धान्त • अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएँ • विविध अधिगमकर्ता के प्रकार : पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सर्जनशील, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी इत्यादि। • अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ • अभिप्रेरणा एवं अधिगम में इसका प्रभाव • समायोजन की संकल्पना, तरीके एवं समायोजन में अध्यापक की भूमिका	20 अंक
6.	सूचना तकनीकीः— • सूचना प्रौद्योगिकी के आधार • सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण (टूल्स) • सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग • सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव	10 अंक

20. बोर्ड की वेबसाइटः—अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से समस्त सूचना एवं जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141—2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र॰ व्यवहार सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा, जयपुर—302018 को सम्बोधित किया जायेगा।

(हरि प्रसाद शर्मा)
अध्यक्ष

SHARMA JOBS

Annexure-1
NTSP L-1

गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON-TSP Area) में अध्यापक लेवल प्रथम, सामान्य शिक्षा के विज्ञापित पदों का जिलेवार/वर्गवार विवरण

क्र.स.	जिला	कुल विज्ञापित पद (बैकलॉग सहित)	बैकलॉग घटाते हुए नवीन भर्ती हेतु पद	अनारक्षित (UR)					आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)					अन्यपिछड़ा वर्ग (OBC)					अति पिछड़ा वर्ग (MBC)					अनुसूचित जाति (SC)					अनुसूचित जनजाति (ST)					सहरिया					दण्डवत आरक्षण						पूर्व की भर्तियो के बैकलॉग		
				सामान्य	महिलाओं के लिए 30 आरक्षित			सम्पूर्ण योग	सामान्य	महिलाओं के लिए 30 आरक्षित			सम्पूर्ण योग	सामान्य	महिलाओं के लिए 30 आरक्षित			सम्पूर्ण योग	सामान्य	महिलाओं के लिए 30 आरक्षित			सम्पूर्ण योग	सामान्य	महिलाओं के लिए 30 आरक्षित			सम्पूर्ण योग	सामान्य	महिलाओं के लिए 30 आरक्षित			सम्पूर्ण योग	सामान्य	महिलाओं के लिए 30 आरक्षित			सम्पूर्ण योग	विशेष योग्यजन (4 प्रतिशत)					उत्कृष्ट खिलाड़ी (2 प्रतिशत)	सहरिया	[illegible]	सम्पूर्ण योग
					सामान्य 20 प्रति	विधवा 8 प्रति	विछि 2 प्रति			सामान्य 20 प्रति	विधवा 8 प्रति	विछि 2 प्रति			सामान्य 20 प्रति	विधवा 8 प्रति	विछि 2 प्रति			सामान्य 20 प्रति	विधवा 8 प्रति	विछि 2 प्रति			सामान्य 20 प्रति	विधवा 8 प्रति	विछि 2 प्रति			सामान्य 20 प्रति	विधवा 8 प्रति	विछि 2 प्रति			सामान्य 20 प्रति	विधवा 8 प्रति	विछि 2 प्रति		LD/CP GROUP	VI/LV	HI	SLD/MD	TOTAL				
1	AJMER	760	760	193	55	22	5	34	54	15	6	1	9	112	32	12	3	19	27	8	3	0	4	85	25	9	2	15	64	19	7	1	11	0	0	0	0	0	8	8	7	7	30	15	0	2	95
2	ALWAR	961	961	244	71	27	6	43	68	20	7	1	12	141	40	16	4	25	34	11	3	0	6	108	30	12	3	19	81	23	9	2	14	0	0	0	0	0	9	9	10	10	38	19	0	3	120
3	BARAN	358	357	93	27	10	2	16	25	8	2	0	4	25	8	2	0	4	12	4	1	0	2	20	6	2	0	3	15	5	1	0	2	63	18	7	1	11	4	4	3	3	14	7	1	1	44
4	BARMER	1247	1247	317	90	36	9	56	87	26	9	2	15	183	53	20	5	32	44	13	4	1	7	140	41	15	3	24	105	31	11	2	18	0	0	0	0	0	12	12	13	12	49	24	0	9	155
5	BHARATPUR	948	948	241	70	27	6	43	66	20	7	1	11	140	41	15	3	24	33	11	3	0	5	106	30	12	3	18	80	22	9	2	14	0	0	0	0	0	9	9	9	10	37	18	0	1	118
6	BHILWARA	824	824	210	61	23	5	37	58	17	6	1	10	122	35	13	3	21	29	9	3	0	5	92	27	10	2	16	69	21	7	1	12	0	0	0	0	0	8	8	8	8	32	16	0	5	103
7	BIKANER	679	679	174	51	19	4	31	47	14	5	1	8	100	29	11	2	17	24	7	2	0	4	76	22	8	2	13	57	17	6	1	10	0	0	0	0	0	7	7	7	6	27	13	0	4	84
8	BUNDI	486	486	124	36	14	3	22	34	11	3	0	6	72	20	8	2	12	17	6	1	0	3	54	16	6	1	9	41	12	4	1	7	0	0	0	0	0	5	5	4	5	19	9	0	3	60
9	CHITTORGARH	499	499	129	38	14	3	23	35	11	3	0	6	73	21	8	2	13	17	6	1	0	3	56	16	6	1	9	42	12	4	1	7	0	0	0	0	0	5	4	5	5	19	9	0	3	62
10	CHURU	442	442	113	33	12	3	20	31	10	3	0	5	65	19	7	1	11	16	5	1	0	2	49	15	5	1	8	38	10	4	1	6	0	0	0	0	0	4	5	4	4	17	8	0	2	55
11	DAUSA	526	526	134	39	15	3	23	37	10	4	1	6	77	23	8	2	13	19	5	2	0	3	59	18	6	1	10	45	12	5	1	7	0	0	0	0	0	5	5	5	6	21	10	0	2	65
12	DHOLPUR	409	409	105	30	12	3	18	28	9	3	0	5	60	18	6	1	10	14	5	1	0	2	46	13	5	1	8	35	11	3	0	6	0	0	0	0	0	4	4	4	4	16	8	0	1	51
13	HANUMANGARH	431	431	111	32	12	3	19	31	9	3	0	5	63	19	7	1	11	15	5	1	0	2	48	14	5	1	8	36	10	4	1	6	0	0	0	0	0	4	4	5	4	17	8	0	2	53
14	JAIPUR	1312	1312	333	95	38	9	59	92	27	10	2	16	193	55	22	5	34	46	13	5	1	8	147	42	16	4	26	110	32	12	3	19	0	0	0	0	0	13	13	13	13	52	26	0	4	164
15	JAISALMER	341	341	88	25	10	2	15	24	8	2	0	4	50	15	5	1	8	12	4	1	0	2	38	11	4	1	6	28	9	3	0	5	0	0	0	0	0	4	3	3	3	13	6	0	1	42
16	JALORE	492	492	126	36	14	3	22	35	11	3	0	6	73	20	8	2	12	17	6	1	0	3	55	16	6	1	9	42	12	4	1	7	0	0	0	0	0	4	5	5	5	19	9	0	3	61
17	JHALAWAR	411	411	105	30	12	3	18	29	9	3	0	5	61	18	6	1	10	14	5	1	0	2	46	13	5	1	8	35	11	3	0	6	0	0	0	0	0	4	4	4	4	16	8	0	3	51
18	JHUNJHUNU	345	345	89	25	10	2	15	24	8	2	0	4	51	15	5	1	9	12	4	1	0	2	39	11	4	1	6	29	9	3	0	5	0	0	0	0	0	4	3	3	3	13	6	0	0	43
19	JODHPUR	1069	1069	271	79	30	7	48	75	21	8	2	13	157	46	17	4	28	38	10	4	1	6	120	35	13	3	21	90	26	10	2	16	0	0	0	0	0	10	11	11	10	42	21	0	5	133
20	KARAULI	601	601	152	44	17	4	27	42	13	4	1	7	89	25	10	2	15	21	7	2	0	3	68	20	7	1	12	51	15	5	1	9	0	0	0	0	0	6	6	6	6	24	12	0	3	75
21	KOTA	389	389	101	29	11	2	17	27	8	3	0	4	57	17	6	1	10	14	4	1	0	2	44	13	4	1	7	33	10	3	0	5	0	0	0	0	0	4	3	4	4	15	7	0	1	48
22	NAGAUR	691	691	176	50	20	5	31	49	14	5	1	8	102	30	11	2	18	24	8	2	0	4	77	23	8	2	13	58	17	6	1	10	0	0	0	0	0	7	7	7	6	27	13	0	3	86
23	PALI	595	595	152	44	17	4	27	42	12	4	1	7	87	26	9	2	15	21	6	2	0	3	67	20	7	1	11	50	15	5	1	8	0	0	0	0	0	6	6	5	6	23	11	0	4	74
24	RAJSAMAND	405	405	104	31	11	2	18	28	9	3	0	5	60	18	6	1	10	14	5	1	0	2	45	13	5	1	8	34	11	3	0	6	0	0	0	0	0	4	4	4	4	16	8	0	2	50
25	SAWAIMADHOPUR	439	439	113	33	12	3	20	31	9	3	0	5	65	19	7	1	11	15	5	1	0	2	49	15	5	1	8	37	10	4	1	6	0	0	0	0	0	4	4	5	4	17	8	0	0	54
26	SRI GANGANAGAR	356	356	93	27	10	2	16	25	8	2	0	4	52	16	5	1	9	12	4	1	0	2	40	11	4	1	7	30	9	3	0	5	0	0	0	0	0	4	3	3	4	14	7	0	0	44
27	SIKAR	665	665	170	49	19	4	30	47	13	5	1	8	98	28	11	2	17	24	7	2	0	4	75	21	8	2	13	56	16	6	1	9	0	0	0	0	0	6	7	7	6	26	13	0	1	83
28	SIROHI	220	220	56	17	6	1	10	16	5	1	0	2	33	10	3	0	5	8	3	0	0	1	25	8	2	0	4	19	5	2	0	3	0	0	0	0	0	2	2	2	2	8	4	0	2	27
29	TONK	404	404	104	31	11	2	18	28	9	3	0	5	59	18	6	1	10	14	5	1	0	2	45	13	5	1	8	34	11	3	0	6	0	0	0	0	0	4	4	4	4	16	8	0	1	50
30	UDAIPUR	258	258	68	20	7	1	12	18	5	2	0	3	38	11	4	1	6	9	3	0	0	1	29	9	3	0	5	21	7	2	0	3	0	0	0	0	0	2	3	2	3	10	5	0	0	32
	Total	**17563**	**17562**	**4489**	**1298**	**498**	**111**	**788**	**1233**	**369**	**124**	**16**	**208**	**2558**	**745**	**274**	**57**	**439**	**616**	**194**	**52**	**3**	**97**	**1948**	**567**	**207**	**43**	**332**	**1465**	**430**	**151**	**25**	**248**	**63**	**18**	**7**	**1**	**11**	**172**	**172**	**172**	**171**	**687**	**336**	**1**	**71**	**2182**

Annexure-2
NTSP L-1 MR

गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON-TSP Area) में अध्यापक लेवल प्रथम, विशेष शिक्षा, एम.आर. के विज्ञापित पदों का जिलेवार/वर्गवार विवरण

क्र.स	जिला	कुल विज्ञापित पद (बैकलॉग सहित)	बैकलॉग घटाते हुए नवीन भर्ती हेतु पद	अनारक्षित (UR) सामान्य	अनारक्षित (UR) महिलाओं के लिए 30 आरक्षित सामान्य 20 प्रति.	अनारक्षित (UR) विधवा 8 प्रति.	अनारक्षित (UR) वि.वि. 2 प्रति	अनारक्षित (UR) भूतपूर्व सैनिक	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) सामान्य	EWS महिलाओं के लिए 30 आरक्षित सामान्य 20 प्रति.	EWS विधवा 8 प्रति.	EWS वि.वि. 2 प्रति	EWS भूतपूर्व सैनिक	अन्यपिछड़ा वर्ग (OBC) सामान्य	OBC महिलाओं के लिए 30 आरक्षित सामान्य 20 प्रति.	OBC विधवा 8 प्रति.	OBC वि.वि. 2 प्रति	OBC भूतपूर्व सैनिक	अति पिछड़ा वर्ग (MBC) सामान्य	MBC महिलाओं के लिए 30 आरक्षित सामान्य 20 प्रति.	MBC विधवा 8 प्रति.	MBC वि.वि. 2 प्रति	MBC भूतपूर्व सैनिक	अनुसूचित जाति (SC) सामान्य	SC महिलाओं के लिए 30 आरक्षित सामान्य 20 प्रति.	SC विधवा 8 प्रति.	SC वि.वि. 2 प्रति	SC भूतपूर्व सैनिक	अनुसूचित जनजाति (ST) सामान्य	ST महिलाओं के लिए 30 आरक्षित सामान्य 20 प्रति.	ST विधवा 8 प्रति.	ST वि.वि. 2 प्रति	ST भूतपूर्व सैनिक	सहरिया सामान्य	सहरिया महिलाओं के लिए 30 आरक्षित सामान्य 20 प्रति.	सहरिया विधवा 8 प्रति.	सहरिया वि.वि. 2 प्रति	सहरिया भूतपूर्व सैनिक	दण्डवत आरक्षण विशेष योग्यजन (4 प्रतिशत) LD/CP GROUP	VI/LV	HI	SLD/MD	TOTAL	उत्कृष्ट खिलाड़ी (2 प्रतिशत)	पूर्व की भर्तियो के बैकलॉग सहरिया	बोरल / एल के
1	AJMER	50	50	14	4	1	0	2	4	1	0	0	0	7	3	0	0	1	2	0	0	0	0	6	2	0	0	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	0	0
2	ALWAR	47	47	14	5	1	0	2	3	1	0	0	0	7	2	0	0	1	2	0	0	0	0	5	2	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
3	BARAN	27	24	8	3	0	0	1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0
4	BARMER	32	32	10	3	1	0	1	3	0	0	0	0	5	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
5	BHARATPUR	33	33	11	3	1	0	1	3	0	0	0	0	5	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
6	BHILWARA	54	54	16	5	1	0	2	4	1	0	0	0	8	3	0	0	1	2	0	0	0	0	6	2	0	0	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	0	0
7	BIKANER	24	24	8	3	0	0	1	2	0	0	0	0	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	BUNDI	26	26	8	3	0	0	1	2	0	0	0	0	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
9	CHITTORGARH	46	46	14	4	1	0	2	3	1	0	0	0	7	2	0	0	1	2	0	0	0	0	5	2	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
10	CHURU	25	25	7	3	0	0	1	2	0	0	0	0	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
11	DAUSA	31	31	10	3	1	0	1	3	0	0	0	0	5	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
12	DHOLPUR	22	22	7	3	0	0	1	2	0	0	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	HANUMANGARH	36	36	12	3	1	0	2	3	0	0	0	0	5	2	0	0	0	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
14	JAIPUR	52	52	15	5	1	0	2	4	1	0	0	0	7	3	0	0	1	2	0	0	0	0	6	2	0	0	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0
15	JAISALMER	13	13	5	2	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	JALORE	12	12	5	2	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	JHALAWAR	21	21	7	2	0	0	1	2	0	0	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	JHUNJHUNU	20	20	6	2	0	0	1	2	0	0	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	JODHPUR	40	40	12	3	1	0	2	3	1	0	0	0	6	2	0	0	1	2	0	0	0	0	5	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
20	KARAULI	17	17	7	2	0	0	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KOTA	28	28	10	2	1	0	1	2	0	0	0	0	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
22	NAGAUR	56	56	17	6	1	0	3	4	1	0	0	0	8	3	0	0	1	2	0	0	0	0	6	2	0	0	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	0	0
23	PALI	26	26	8	3	0	0	1	2	0	0	0	0	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
24	RAJSAMAND	35	35	11	3	1	0	1	3	0	0	0	0	5	2	0	0	0	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
25	SAWAIMADHOPUR	34	34	10	3	1	0	1	3	0	0	0	0	5	2	0	0	0	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
26	SRI GANGANAGAR	40	40	12	3	1	0	2	3	1	0	0	0	6	2	0	0	1	2	0	0	0	0	5	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
27	SIKAR	20	20	6	2	0	0	1	2	0	0	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	SIROHI	15	15	6	2	0	0	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	TONK	32	32	10	3	1	0	1	3	0	0	0	0	5	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
30	UDAIPUR	16	16	7	2	0	0	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**930**	**927**	**293**	**92**	**16**	**0**	**38**	**74**	**8**	**0**	**0**	**0**	**138**	**39**	**0**	**0**	**8**	**33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108**	**25**	**0**	**0**	**4**	**84**	**11**	**0**	**0**	**0**	**5**	**1**	**0**	**0**	**0**	**6**	**6**	**6**	**6**	**23**	**4**	**3**	**1**

Annexure-3
NTSP L-1 HI

गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON-TSP Area) में अध्यापक लेवल प्रथम, विशेष शिक्षा, एच.आई. के विज्ञापित पदों का जिलेवार/वर्गवार विवरण

क्र.स	जिला	कुल विज्ञापित पद (बैकलॉग सहित)	बैकलॉग घटाते हुए नवीन भर्ती हेतु पद	अनारक्षित (UR)					आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)					अन्यपिछड़ा वर्ग (OBC)					अति पिछड़ा वर्ग (MBC)					अनुसूचित जाति (SC)					अनुसूचित जनजाति (ST)					सहरिया					दण्डवत आरक्षण						पूर्व की भर्तियों के बैकलॉग
				सामान्य	महिलाओं के लिए 30 आरक्षित: सामान्य 20 प्रति	विधवा 8 प्रति	वि.वि. 2 प्रति	भू.पू. सैनिक	सामान्य	महिलाओं के लिए 30 आरक्षित: सामान्य 20 प्रति	विधवा 8 प्रति	वि.वि. 2 प्रति	भू.पू. सैनिक	सामान्य	महिलाओं के लिए 30 आरक्षित: सामान्य 20 प्रति	विधवा 8 प्रति	वि.वि. 2 प्रति	भू.पू. सैनिक	सामान्य	महिलाओं के लिए 30 आरक्षित: सामान्य 20 प्रति	विधवा 8 प्रति	वि.वि. 2 प्रति	भू.पू. सैनिक	सामान्य	महिलाओं के लिए 30 आरक्षित: सामान्य 20 प्रति	विधवा 8 प्रति	वि.वि. 2 प्रति	भू.पू. सैनिक	सामान्य	महिलाओं के लिए 30 आरक्षित: सामान्य 20 प्रति	विधवा 8 प्रति	वि.वि. 2 प्रति	भू.पू. सैनिक	सामान्य	महिलाओं के लिए 30 आरक्षित: सामान्य 20 प्रति	विधवा 8 प्रति	वि.वि. 2 प्रति	भू.पू. सैनिक	विशेष योग्यजन (4 प्रतिशत): LD/CP GROUP	VI/LV	HI	SLD/MD	TOTAL	उत्कृष्ट खिलाड़ी (2 प्रतिशत)	सहरिया
1	AJMER	20	20	6	2	0	0	1	2	0	0	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ALWAR	23	23	8	3	0	0	1	2	0	0	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BARAN	11	10	5	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	BARMER	36	36	12	3	1	0	2	3	0	0	0	0	5	2	0	0	0	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5	BHARATPUR	16	16	7	2	0	0	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	BHILWARA	25	25	7	3	0	0	1	2	0	0	0	0	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
7	BIKANER	19	19	7	3	0	0	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	BUNDI	11	11	5	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	CHITTORGARH	12	12	5	2	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	CHURU	15	15	6	2	0	0	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DAUSA	12	12	5	2	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	DHOLPUR	13	13	5	2	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	HANUMANGARH	16	16	7	2	0	0	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	JAIPUR	33	33	11	3	1	0	1	3	0	0	0	0	5	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
15	JAISALMER	10	10	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	JALORE	13	13	5	2	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	JHALAWAR	9	9	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	JHUNJHUNU	8	8	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	JODHPUR	35	35	11	3	1	0	1	3	0	0	0	0	5	2	0	0	0	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
20	KARAULI	9	9	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KOTA	8	8	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAGAUR	33	33	11	3	1	0	1	3	0	0	0	0	5	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
23	PALI	14	14	6	2	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	RAJSAMAND	18	18	7	3	0	0	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	SAWAIMADHOPUR	12	12	5	2	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	SRI GANGANAGAR	24	24	8	3	0	0	1	2	0	0	0	0	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	SIKAR	11	11	5	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	SIROHI	7	7	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	TONK	12	12	5	2	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	UDAIPUR	6	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**491**	**490**	**191**	**59**	**4**	**0**	**15**	**36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76**	**10**	**0**	**0**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57**	**5**	**0**	**0**	**0**	**40**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**1**	**1**	**1**	**5**	**0**	**1**

Annexure-4
NTSP L-1 VI

गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON-TSP Area) में अध्यापक लेवल प्रथम, विशेष शिक्षा, वी.आई. के विज्ञापित पदों का जिलेवार/वर्गवार विवरण

क्र.स	जिला	कुल विज्ञापित पद	बैकलॉग घटाते हुए नवीन भर्ती हेतु पद	अनारक्षित (UR)					आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)					अन्यपिछड़ा वर्ग (OBC)					अति पिछड़ा वर्ग (MBC)					अनुसूचित जाति (SC)					अनुसूचित जनजाति (ST)					सहरिया					दण्डवत आरक्षण						पूर्व की भर्तियों के बैकलॉग
					महिलाओं के लिए 30 आरक्षित					महिलाओं के लिए 30 आरक्षित					महिलाओं के लिए 30 आरक्षित					महिलाओं के लिए 30 आरक्षित					महिलाओं के लिए 30 आरक्षित					महिलाओं के लिए 30 आरक्षित					महिलाओं के लिए 30 आरक्षित			विशेष योग्यजन (4 प्रतिशत)						
				सामान्य	सामान्य 20 प्रति	विधवा 8 प्रति	विछे 2 प्रति	भू.पू. सैनिक	सामान्य	सामान्य 20 प्रति	विधवा 8 प्रति	विछे 2 प्रति	भू.पू. सैनिक	सामान्य	सामान्य 20 प्रति	विधवा 8 प्रति	विछे 2 प्रति	भू.पू. सैनिक	सामान्य	सामान्य 20 प्रति	विधवा 8 प्रति	विछे 2 प्रति	भू.पू. सैनिक	सामान्य	सामान्य 20 प्रति	विधवा 8 प्रति	विछे 2 प्रति	भू.पू. सैनिक	सामान्य	सामान्य 20 प्रति	विधवा 8 प्रति	विछे 2 प्रति	भू.पू. सैनिक	सामान्य	सामान्य 20 प्रति	विधवा 8 प्रति	विछे 2 प्रति	भू.पू. सैनिक	LD/CP GROUP	VI/LV	HI	SLD/MD	TOTAL	उत्कृष्ट खिलाड़ी (2 प्रतिशत)	सहरिया
1	AJMER	14	14	6	2	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ALWAR	10	10	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BARAN	5	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	BARMER	10	10	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	BHARATPUR	6	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	BHILWARA	11	11	5	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	BIKANER	14	14	6	2	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	BUNDI	5	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	CHITTORGARH	8	8	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	CHURU	5	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DAUSA	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	DHOLPUR	6	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	HANUMANGARH	7	7	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	JAIPUR	9	9	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	JAISALMER	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	JALORE	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	JHALAWAR	5	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	JHUNJHUNU	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	JODHPUR	14	14	6	2	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	KARAULI	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KOTA	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAGAUR	13	13	5	2	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	PALI	6	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	RAJSAMAND	10	10	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	SAWAIMADHOPUR	5	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	SRI GANGANAGAR	12	12	5	2	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	SIKAR	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	SIROHI	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	TONK	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	UDAIPUR	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	208	207	115	28	0	0	3	9	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

SHARMA JOBS

अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) में अध्यापक लेवल प्रथम, सामान्य शिक्षा के विज्ञापित पदों का जिलेवार/वर्गवार विवरण

क्र.स	जिला	कुल विज्ञापित पद (बैकलॉग सहित)	बैकलॉग घटाते हुए नवीन भर्ती हेतु पद	अनारक्षित (UR) सामान्य	अनारक्षित (UR) महिलाओं के लिए 30 आरक्षित: सामान्य 20 प्रति.	अनारक्षित (UR) महिलाओं के लिए 30 आरक्षित: विधवा 8 प्रति.	अनारक्षित (UR) महिलाओं के लिए 30 आरक्षित: वि.वि. 2 प्रति	अनारक्षित (UR) भू.पूर्व सैनिक	अनुसूचित जाति (SC) सामान्य	अनुसूचित जाति (SC) महिलाओं के लिए 30 आरक्षित: सामान्य 20 प्रति.	अनुसूचित जाति (SC) महिलाओं के लिए 30 आरक्षित: विधवा 8 प्रति.	अनुसूचित जाति (SC) महिलाओं के लिए 30 आरक्षित: वि.वि. 2 प्रति	अनुसूचित जाति (SC) भू.पूर्व सैनिक	अनुसूचित जनजाति (ST) सामान्य	अनुसूचित जनजाति (ST) महिलाओं के लिए 30 आरक्षित: सामान्य 20 प्रति.	अनुसूचित जनजाति (ST) महिलाओं के लिए 30 आरक्षित: विधवा 8 प्रति.	अनुसूचित जनजाति (ST) महिलाओं के लिए 30 आरक्षित: वि.वि. 2 प्रति	अनुसूचित जनजाति (ST) भू.पूर्व सैनिक	दण्डवत आरक्षण विशेष योग्यजन (4 प्रतिशत): LD/CP GROUP	दण्डवत आरक्षण विशेष योग्यजन (4 प्रतिशत): VI/LV	दण्डवत आरक्षण विशेष योग्यजन (4 प्रतिशत): HI	दण्डवत आरक्षण विशेष योग्यजन (4 प्रतिशत): SLD/MD	दण्डवत आरक्षण विशेष योग्यजन (4 प्रतिशत): TOTAL	दण्डवत आरक्षण: उत्कृष्ट खिलाड़ी (2 प्रतिशत)	पूर्व की भर्तियों के बैकलॉग: बीएल/एल वी	पूर्व की भर्तियों के बैकलॉग: एच आई	पूर्व की भर्तियों के बैकलॉग: एसएलडी/एमडी
1	BANSWARA	268	268	95	28	10	2	16	10	2	1	0	1	84	25	9	2	15	3	3	2	2	10	5	7	6	5
2	CHITTORGARH	15	15	7	2	0	0	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	DUNGARPUR	324	324	115	32	13	3	20	12	3	1	0	2	102	30	11	2	18	3	3	3	3	12	6	9	4	4
4	PALI	13	13	6	2	0	0	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	PRATAPGARH	207	207	73	21	8	2	13	7	3	0	0	1	66	19	7	1	11	2	2	2	2	8	4	17	5	4
6	RAJSAMAND	15	15	7	2	0	0	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	SIROHI	98	98	35	10	4	1	6	3	1	0	0	0	31	10	3	0	5	1	1	0	1	3	1	3	2	3
8	UDAIPUR	630	630	222	63	25	6	39	22	7	2	0	3	199	57	22	5	35	6	6	7	6	25	12	35	10	12
	Total	**1570**	**1570**	**560**	**160**	**60**	**14**	**97**	**54**	**16**	**4**	**0**	**7**	**496**	**144**	**52**	**10**	**84**	**15**	**15**	**14**	**14**	**58**	**28**	**71**	**27**	**29**

अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) में अध्यापक लेवल प्रथम, विशेष शिक्षा, एम.आर. के विज्ञापित पदों का जिलेवार/वर्गवार विवरण

क्र.स	जिला	कुल विज्ञापित पद (बैकलॉग सहित)	बैकलॉग घटाते हुए नवीन भर्ती हेतु पद	अनारक्षित (UR)					अनुसूचित जाति (SC)					अनुसूचित जनजाति (ST)					दण्डवत आरक्षण						पूर्व की भर्तियों के बैकलॉग	
				सामान्य	महिलाओं के लिए 30 आरक्षित			भू.पु. सैनिक	सामान्य	महिलाओं के लिए 30 आरक्षित			भू.पु. सैनिक	सामान्य	महिलाओं के लिए 30 आरक्षित			भू.पु. सैनिक	विशेष योग्यजन (4 प्रतिशत)					उत्कृष्ट खिलाड़ी (2 प्रतिशत)	बीएल/एल वी	एल डी/सीपी
					सामान्य 20 प्रति.	विधवा 8 प्रति.	वि.वि. 2 प्रति			सामान्य 20 प्रति.	विधवा 8 प्रति.	वि.वि. 2 प्रति			सामान्य 20 प्रति.	विधवा 8 प्रति.	वि.वि. 2 प्रति		LD/CP GROUP	VI/LV	HI	SLD/MD	TOTAL			
1	BANSWARA	112	112	40	12	4	1	7	4	1	0	0	0	35	10	4	1	6	1	1	1	1	4	2	1	0
2	CHITTORGARH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	DUNGARPUR	9	9	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	PALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	PRATAPGARH	6	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
6	RAJSAMAND	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	SIROHI	8	8	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	UDAIPUR	19	19	8	3	0	0	1	0	0	0	0	0	6	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
	Total	**155**	**155**	**60**	**18**	**4**	**1**	**8**	**4**	**1**	**0**	**0**	**0**	**49**	**13**	**4**	**1**	**7**	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**2**	**3**	**2**

SHARMA JOBS

अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) में अध्यापक लेवल प्रथम, विशेष शिक्षा, एच.आई. के विज्ञापित पदों का जिलेवार/वर्गवार विवरण

क्र.स	जिला	कुल विज्ञापित पद (बैकलॉग सहित)	बैकलॉग घटाते हुए नवीन भर्ती हेतु पद	अनारक्षित (UR)					अनुसूचित जाति (SC)					अनुसूचित जनजाति (ST)					दण्डवत आरक्षण						पूर्व की भर्तियों के बैकलॉग	
				सामान्य	महिलाओं के लिए 30 आरक्षित			भू.पु. सैनिक	सामान्य	महिलाओं के लिए 30 आरक्षित			भू.पु. सैनिक	सामान्य	महिलाओं के लिए 30 आरक्षित			भू.पु. सैनिक	विशेष योग्यजन (4 प्रतिशत)					उत्कृष्ट खिलाड़ी (2 प्रतिशत)	बीएल/एल की	एल डी/सीपी
					सामान्य 20 प्रति.	विधवा 8 प्रति.	वि.वि. 2 प्रति			सामान्य 20 प्रति.	विधवा 8 प्रति.	वि.वि. 2 प्रति			सामान्य 20 प्रति.	विधवा 8 प्रति.	वि.वि. 2 प्रति		LD/CP GROUP	VI/LV	HI	SLD/MD	TOTAL			
1	BANSWARA	20	20	7	3	0	0	1	1	0	0	0	0	7	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2	CHITTORGARH	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	DUNGARPUR	8	8	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	PALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	PRATAPGARH	6	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
6	RAJSAMAND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	SIROHI	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	UDAIPUR	13	13	6	2	0	0	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		**51**	**51**	**23**	**7**	**0**	**0**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17**	**3**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**1**

अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) में अध्यापक लेवल प्रथम, विशेष शिक्षा, वी.आई. के विज्ञापित पदों का जिलेवार/वर्गवार विवरण

क्र.स	जिला	कुल विज्ञापित पद (बैकलॉग सहित)	बैकलॉग घटाते हुए नवीन भर्ती हेतु पद	अनारक्षित (UR)					अनुसूचित जाति (SC)					अनुसूचित जनजाति (ST)					दण्डवत आरक्षण						पूर्व की भर्तियों के बैकलॉग		
				सामान्य	महिलाओ के लिए 30 आरक्षित			भूपू सैनिक	सामान्य	महिलाओं के लिए 30 आरक्षित			भूपू सैनिक	सामान्य	महिलाओ के लिए 30 आरक्षित			भूपू सैनिक	विशेष योग्यजन (4 प्रतिशत)					उत्कृष्ट खिलाड़ी (2 प्रतिशत)	एस टी	बीएल/एल वी	एल डी/सीपी
					सामान्य 20 प्रति	विधवा 8 प्रति.	वि.वि. 2 प्रति			सामान्य 20 प्रति.	विधवा 8 प्रति.	वि.वि. 2 प्रति			सामान्य 20 प्रति	विधवा 8 प्रति	वि.वि. 2 प्रति		LD/CP GROUP	VI/LV	HI	SLD/MD	TOTAL				
1	BANSWARA	10	10	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2	CHITTORGARH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	DUNGARPUR	7	7	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	PALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	PRATAPGARH	4	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
6	RAJSAMAND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	SIROHI	4	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	UDAIPUR	7	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	Total	**32**	**31**	**17**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**1**